

राजस्व विभाग
दिग्दर्शिका अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	1
2	विभागीय संरचना एवं कार्यकलाप -	2-26
	1. राजस्व विभाग की संरचना	2
	2. सब डिवीजन एवं उनके अधीन कार्यरत तहसील/उप तहसीलों का विवरण।	3-4
	3. जनपदवार राजस्व पटवारी क्षेत्र/गैर राजस्व पुलिस क्षेत्र/लेखपाल क्षेत्र/राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों की संख्या।	5
	4. कलेक्ट्रेट/तहसीलों में रिक्त पदों पर भर्ती की स्थिति।	6
	5. राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून का गठन	7
	6. राजस्व पुलिस निदेशालय का गठन	8
	7. राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण	8-12
	8. भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	13
	9. जिला स्तर पर खतौनी का कम्प्यूटरीकरण/अटल आदर्श ग्रामों के लिए खतौनी वितरण	14
	10. विभागीय भवनों के निर्माण की प्रगति आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	14
	11. कलेक्ट्रेट के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	15
	12. तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	15
	13. कानूनगो/पटवारी चौकियों का निर्माण	16
	14. भूमि सुधार कार्यों को लागू किया जाना/उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरण-पत्र/पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी।	17-19
	15. सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य	19
	16. पर्वतीय क्षेत्रों में गैर जमींदारी विनाश भूमि को रक्षित स्तर से मुक्त किया जाना (16-क एवं 16-ख)	19-20
	17. राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाना	20
	18. भूमिहीनों को आवास स्थल आवंटन	21
	19. खाम भूमि पर आवंटित पट्टे।	22
	20. ग्रामीण सीलिंग कार्य संबंधी विवरण।	22
	21. कृषि पट्टाधारकों को संक्रमणीय अधिकार दिया जाना।	23
	22. विभिन्न देयकों की वसूली व संग्रह कार्य/प्रदेश के राजस्व परिषद् के सम्परीक्षा दल द्वारा सम्पादित आडिट कार्य।	24-25

	23. मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण। 1. राजस्व उपनिरीक्षक/पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु नई व्यवस्था 2. राजस्व निरीक्षक निरीक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था।	26
3	विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल - 1. विभाग की महत्वपूर्ण सूचना का स्वतः प्रकाशन। 2. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 3. शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना। 4. समाधान योजना। 5. लोक शिकायत निवारण। 6. ई-प्रोक्चोरमेंट/ ई-टेंडरिंग।	26-28
4	वित्तीय वर्ष 2012-13 प्रगति/लक्ष्य प्राप्ति तथा वार्षिक योजना 2012-13 में आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित परिव्यय, बजट प्राविधान, स्वीकृति और व्यय विवरण/वित्तीय वर्ष 2013-14 प्रगति/लक्ष्य प्राप्ति।	29-31
5	कृषि गणना।	32-34
6	कृषि सांख्यिकी।	35-41

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाँऊ तथा गढ़वाल दो मण्डल आते हैं। वर्ष 1790 से पूर्व कुमाँऊ में चन्द राजाओं तथा गढ़वाल में परमार अथवा पंवार राजाओं का शासन था। वर्ष 1790-91 में नेपाल की ओर से आक्रमण होने के पश्चात् पूरा कुमाँऊ तथा गढ़वाल का क्षेत्र गोरखों के अधीन हो गया। वर्ष 1815 की सन्धि के उपरान्त वर्तमान जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी का क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह को प्राप्त हुआ तथा वर्तमान जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग तथा चमोली का क्षेत्र समस्त कुमाँऊ मण्डल के साथ अंग्रेजी के अधिपत्य में आ गया। इस प्रकार वर्ष 1947 तक तत्कालीन टिहरी रियासत में राजा का एवं तत्कालीन ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाँऊ में अंग्रेजों का शासन था। देश आजाद होने के बाद टिहरी रियासत का विलय पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में हो गया और समस्त क्षेत्र आयुक्त, कुमाँऊ के अधीन आ गया। उस समय कुमाँऊ मण्डल के अन्तर्गत गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोडा एवं नैनीताल नाम के जिले आते थे। अन्य पर्वतीय जनपदों का तब तक सृजन नहीं हुआ था।

तत्कालीन कुमाँऊ मण्डल के सीमान्त क्षेत्र की संवेदनशीलता एवं चीन से सम्भावित युद्ध की पृष्ठ भूमि में गढ़वाल जनपद को विभक्त करते हुए चमोली जनपद, टिहरी जनपद को विभक्त करते हुए उत्तरकाशी जनपद एवं अल्मोडा जनपद को विभक्त करते हुए पिथौरागढ़ जनपद का सृजन सन् 1960 में किया गया। यह तीनों जनपद 31.03.1974 तक भारत सरकार से वित्ता पोषित होते रहे तथा इन जनपदों को उत्तराखण्ड मण्डल में जिसका मुख्यालय लखनऊ में था रखा गया। वर्ष 1960 में पर्वतीय क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए “कुमाँऊ एवं उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश अधिनियम-1960” (कूजा) बनाया गया था। दिनांक 01.12.1968 को कुमाँऊ मण्डल का विघटन करते हुए गढ़वाल मण्डल का सृजन किया गया।

जनपद देहरादून पूर्व में मेरठ मण्डल के अधीन था। गढ़वाल मण्डल के गठन के बाद दिनांक 04.06.1975 को देहरादून जनपद को मेरठ मण्डल से हटाते हुए गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित किया गया। जनपद हरिद्वार वर्ष 1984 तक तहसील रूड़की का भाग था तथा तहसील रूड़की तद्समय जनपद सहारनपुर का भाग थी एवं जनपद सहारनपुर, मेरठ मण्डल के अधीन था। दिनांक 02.10.1984 को तहसील हरिद्वार का सृजन किया गया। वर्ष 1986 कुम्भ मेले के दौरान कुम्भ स्नान के समय भगदड़ होने के कारण 46 लोगों की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी न्यायिक जांच शासन द्वारा कराई थी। इस पृष्ठ भूमि में हरिद्वार को जनपद बनाये जाने की मांग ने जोर पकड़ा और पूर्ववर्ती उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 28.12.1988 को जनपद हरिद्वार का सृजन किया गया। दिनांक 15.04.1997 को मेरठ मण्डल को विभाजित करते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं हरिद्वार को सम्मिलित करते हुए एक अलग मण्डल सहारनपुर का सृजन किया गया था।

दिनांक 09.11.2000 को उत्तराखण्ड गठन के बाद जनपद हरिद्वार को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित किया गया।

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य के समय चार नये जनपदों क्रमशः उधमसिंहनगर, बागेश्वर, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग का सृजन किया गया। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में कुल दो मण्डल एवं 13 जनपद हैं।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद शासन में राजस्व विभाग के आधुनिक, गतिशील एवं जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं प्रारम्भ की गयीं। पूर्व में विभाग की जो छवि पुराने भवनों में कार्य करने वाले एवं पुराने वाहनों की सहायता से दैनिक कार्य सम्पन्न करने की बनी हुई थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गयी एवं तदनुसार व्यवस्था को कार्यरूप दिया गया।

(2) विभागीय संरचना एवं कार्यकलाप

1. राजस्व विभाग की विभागीय संरचना

↓

मा० राजस्व मंत्री

↓

प्रमुख सचिव

↓

अपर सचिव

↓

अनु० सचिव

↓

राजस्व परिषद् का संगठन

↓

1- अध्यक्ष राजस्व परिषद्

2- आयुक्त एवं सचिव/सदस्य न्यायिक, मुख्यालय, देहरादून/सर्किट कोर्ट, पौड़ी

3- सदस्य न्यायिक, सर्किट कोर्ट, नैनीताल

↓

आयुक्त (2 मण्डल)

1- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल

2- आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल

↓

जिलाधिकारी (13 जनपद)

↓

सबडिविजन (58)

↓

तहसील (82)

↓

उप तहसील (5)

↓

तहसीलदार (84)

↓

नायब तहसीलदार/पेशकार (119)

↓

भू-लेख निरीक्षक

1- राजस्व निरीक्षक(पर्वतीय) 127

2- भूलेख निरीक्षक (मैदानी) 34

↓

राजस्व उप निरीक्षक (1216)

↓

लेखपाल (428)

2. उत्तराखण्ड के सब डिवीजन एवं उनके अधीन कार्यरत तहसील/उपतहसीलों का विवरण

क्रम सं०	जनपद का नाम	सब डिवीजन का नाम	अधीनस्थ तहसील	उप तहसील	विवरण
1	टिहरी गढ़वाल	टिहरी	1. टिहरी 2. धनोल्टी 3. कण्डीसौड़	-	नव उच्चिकृत नव सृजित
		प्रतापनगर	1. प्रतापनगर	-	
		नरेन्द्रनगर	1. नरेन्द्रनगर	1. गजा नव सृजित	
		घनसाली	1. घनसाली 2. जाखणीधार	-	नव उच्चिकृत
		कीर्तिनगर	1. देवप्रयाग	-	
2.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	1. रूद्रप्रयाग	-	
		ऊखीमठ	1. ऊखीमठ	-	
		जखोली	1. जखोली	-	नव उच्चिकृत
3.	हरिद्वार	हरिद्वार	1. हरिद्वार	-	
		रूड़की	1. रूड़की	-	
		लक्सर	1. लक्सर	-	
4.	उत्तरकाशी	भटवाडी	1. भटवाडी	-	
		डुण्डा	1. डुण्डा 2. चिन्यालीसौड़	-	नव उच्चिकृत
		बड़कोट	1. बड़कोट	-	
		पुरोला	1. पुरोला 2. मोरी	-	नव उच्चिकृत
5.	चमोली	चमोली	1. चमोली 2. घाट	-	नव उच्चिकृत
		जोशीमठ	1. जोशीमठ		
		कर्णप्रयाग	1. कर्णप्रयाग	-	
		थराली	1. थराली	-	
		गैरसैण	1. गैरसैण 2. आदिवद्री (चांदपुर गढ़ी)	-	नव सृजित
		पोखरी	1. पोखरी	-	

6.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	1. पौड़ी 2. चौबट्टाखाल	-	नव उच्चिकृत
		लैन्सडौन	1. लैन्सडौन 2. सतपुली	-	नव उच्चिकृत
		कोटद्वार	1. कोटद्वार 2. यमकेश्वर	-	नव उच्चिकृत
		श्रीनगर	1. श्रीनगर	-	
		धुमाकोट	1. धुमाकोट	-	
		थैलीसैण	1. थैलीसैण	-	
7.	देहरादून	देहरादून	देहरादून	-	
		विकासनगर	विकासनगर	-	
		ऋषिकेश	ऋषिकेश	-	
		चकराता	1. चकराता 2. कालसी 3. त्यूणी	-	नव सृजित नवसृजित
8.	नैनीताल	कोश्या-कुटोली	1 कोश्या-कटोली 2. बेतालघाट	-	नव उच्चिकृत
		नैनीताल	1. नैनीताल	-	
		धारी	1. धारी	-	
		रामनगर	1. रामनगर	-	नव उच्चिकृत
		हल्द्वानी	1. हल्द्वानी 2. लालकुआँ 3. कालीढूंगी	-	नव सृजित नव उच्चिकृत
9.	चम्पावत	लोहाघाट	1. लोहाघाट 2. चम्पावत	1. बाराकोट नव सृजित	नव सृजित
		पूर्णागिरी	1. पूर्णागिरी	-	नव सृजित
		पाटी	1. पाटी	-	नव सृजित
10.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़	-	
		डीडीहाट	1. डीडीहाट 2. बंगापानी	1. देवस्थल 2. कनालीछीना	नव सृजित उपतहसील “ नव सृजित
		धारचूला	1. धारचूला	-	

		मुनस्यारी	1. मुनस्यारी	-	
		बेरीनाग	1. बेरीनाग	-	
		गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट	-	
11.	अल्मोड़ा	सल्ट	1.सल्ट(भौलेखाल)	-	नव सृजित
		भिक्यासैण	1. भिक्यासैण 2. चौखुटिया	-	नव सृजित
		रानीखेत	1. रानीखेत 2. द्वारहाट	-	नव सृजित
		अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा 2. सोमेश्वर	-	नव उच्चीकृत
		जैती	1. जैती 2. भनौली	-	नव सृजित नव सृजित
12.	ऊधमसिंहनगर	काशीपुर	1. जसपुर 2.काशीपुर	-	नव सृजित
		बाजपुर	1. बाजपुर 2. गदरपुर	-	नव उच्चीकृत नव उच्चीकृत
		किच्छा(रूद्रपुर)	1.किच्छा	-	
		सितारगंज	1. सितारगंज	-	
		खटीमा	1. खटीमा	-	
13.	बागेश्वर	बागेश्वर	1. बागेश्वर	1. काफलीगैर नव सृजित	
		गरूड	1. गरूड	-	नव सृजित
		कपकोट	1. कपकोट 2. काण्डा	-	नव सृजित
योग	13 जनपद	58 डिवीजन	82 तहसील	5 उपतहसील	

3. जनपदवार राजस्व पटवारी क्षेत्र/गैर राजस्व पुलिस क्षेत्र/लेखपाल क्षेत्र/राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों की संख्या

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल पटवारी चौकियों की संख्या	राजस्व पुलिस क्षेत्र की पटवारी चौकियों की संख्या	गैर राजस्व पुलिस क्षेत्र की पटवारी चौकियों की संख्या	लेखपाल क्षेत्र की संख्या	राजस्व निरीक्षक क्षेत्र की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	चम्पावत	68	27	41	03	08
2.	पौड़ी	234	213	21	04	23
3.	नैनीताल	55	55	-	50	14
4.	बागेश्वर	60	37	23	-	05
5.	उत्तरकाशी	96	64	32	-	15
6.	रूद्रप्रयाग	52	44	08	-	06
7.	अल्मोड़ा	211	182	29	-	17
8.	टिहरी	183	101	82	-	14
9.	पिथौरागढ़	144	116	28	-	16
10.	देहरादून	39	33	06	73	09
11.	चमोली	74	72	02	-	10
12.	हरिद्वार	-	-	-	156	07
13.	उधमसिंहनगर	-	-	-	142	14
योग		1216	944	272	428	158

4. कलेक्ट्रेट/तहसीलों में रिक्त पदों पर भर्ती की स्थिति

क्र० सं०	विभाग का नाम	रिक्त पद	पूर्व में चल रही रिक्तियों की संख्या, जिनमें भर्ती प्रक्रिया चल रही है	रिक्तियों की संख्या जिसमें निकट भविष्य में नियुक्तियां होने वाली है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार	118	118	नायब तहसीलदार 119 पदों के सापेक्ष रिक्त 118 पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। 60 पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नत कर तैनात किया गया है।
2.		कनिष्ठ सहायक	68	68	शासन के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर चयन हेतु
3.		आशुलेखक	-	31	प्राविधिक शिक्षा
4.		वाहन चालक	-	40	परिषद रूडकी को
5.		लेखपाल	-	270	नियुक्ति
6.		सर्वे विशेषज्ञ	-	02	प्राधिकारी/जिलाधिकारियों के माध्यम से अधियाचन प्रेषित किये गये हैं। भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।
7.		भूमापक	-	02	

5. राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड का गठन :-

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में राजस्व विभाग हेतु मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन की स्थापना की गई थी। इस विभाग को और गतिशील व प्रभावी बनाने के लिये दिनांक 01.05.2012 को मुख्य राजस्व आयुक्त के स्थान पर उत्तर प्रदेश की भांति राजस्व परिषद् का सृजन किया गया है। इसमें राजस्व विभाग के अधीन तहसीलदार तक के समस्त संवर्गों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किया जाता है। यह राजस्व विभाग की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भी है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसकी दो सर्किट कोर्ट जनपद नैनीताल एवं पौड़ी में भी स्थापित है। कुमाँऊ मण्डल से सम्बन्धित समस्त राजस्ववादों का निस्तारण सर्किट कोर्ट, नैनीताल में किया जाता है एवं गढ़वाल मण्डल पर्वतीय जनपदों से सम्बन्धित राजस्ववादों का निस्तारण सर्किट कोर्ट पौड़ी में किया जाता है। जनपद देहरादून एवं हरिद्वार से सम्बन्धित राजस्ववादों का निस्तारण देहरादून स्थित मुख्यालय से किया जाता है। राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड कार्यालय की आवश्यकता एवं गरिमा के अनुरूप अलग मुख्यालय भवन हरिद्वार-मसूरी बाईपास मार्ग पर लाडपुर में निर्मित कर संचालित किया जा रहा है।

विधि में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार राजस्ववादों का निस्तारण राजस्व विभाग में स्थापित विभिन्न स्तर के न्यायालयों द्वारा सम्पन्न किया गया जाता है। गत राजस्व वर्ष में 01.10.2011 से 30.09.2012 तक 181942 वादों में से 142991 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। आलोच्य राजस्व वर्ष में 31.01.2013 तक कुल 90473 राजस्ववादों में से 04 माह के अन्दर 53924 वादों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार राजस्ववादों के निस्तारण का प्रतिशत 60: है।

उत्तराखण्ड राज्य में राजस्ववादों के निस्तारण की स्थिति

क- राजस्व वर्ष 2011-12 (दिनांक 01.10.2011 से 30.09.2012 तक की स्थिति)

दिनांक 01.10.2011 को अवशेष वाद	01.10.2011 से 30.09.2012 तक दायर वाद	योग	01.10.2011 से 30.09.2012 तक निस्तारित वाद	01.10.2012 को अवशेष वाद	प्रतिशत
34555	147387	181942	142991	38951	79 प्रतिशत

ख- राजस्व वर्ष 2012-13 (दिनांक 01.10.2012 से 31.01.2013 तक की स्थिति)

दिनांक 01.10.2012 को अवशेष वाद	01.10.2012 से 31.01.2013 तक दायर वाद	योग	01.10.2012 से 31.01.2013 तक निस्तारित वाद	01.02.2013 को अवशेष वाद	प्रतिशत
38951	51522	90473	53924	36549	60 प्रतिशत

6. राजस्व पुलिस निदेशालय का गठन -

ब्रिटिश काल में तत्कालीन कुमाँऊ मण्डल (पूर्ववर्ती जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल) में “दि शिङ्गूल्ड डिस्ट्रिक्स एक्ट, 1874” के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-494/टप्प्-418-16 दिनांक 07.03.1916 द्वारा पटवारी, कानूनगो तथा पेशकार (नायब तहसीलदार) को पुलिस शक्तियाँ प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता के उपरान्त तत्कालीन टिहरी रियासत (वर्तमान जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी) के भारतीय संघ में विलय के बाद “दि टिहरी गढ़वाल रेवेन्यू ऑफिशियल्स (स्पेशल पावर्स) एक्ट 1956” द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जनपदों के पटवारियों, कानूनगो तथा पेशकार/नायब तहसीलदारों को भी पुलिस शक्तियाँ प्रदान की गई। कालान्तर में “दि जौनसार बावर परगना (डिस्ट्रिक्ट देहरादून) रेवेन्यू ऑफिशियल्स (स्पेशल पावर्स) एक्ट 1958 द्वारा जनपद देहरादून के जौनसार-बावर परगने के पटवारियों, कानूनगों तथा नायब तहसीलदारों को भी पुलिस शक्तियाँ प्रदान की गई।

प्रदेश का लगभग 65 प्रतिशत भू-भाग दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राजस्व पुलिस के पास है। राजस्व पुलिस के कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पन्न करने एवं समय-समय पर उनका यथेष्ट मार्गदर्शन करने के लिए निदेशालय का गठन किया जाना आवश्यक समझा गया। जिसके अन्तर्गत राजस्व पुलिस संगठन में निम्न प्रकार अधिकारियों को पदेन रूप से पद नामित किया गया है :-

1. मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस - अध्यक्ष, राजस्व परिषद् (पदेन)
2. अपर मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल (पदेन)
3. संचालक, राजस्व पुलिस - आयुक्त एवं सचिव (पदेन)

उक्त निदेशालय का कार्यालय राजस्व परिषद् कार्यालय में ही बनाया गया है, जिसके लिए आवश्यक स्टाफ राजस्व परिषद् कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

7. राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण -

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में राजस्व पुलिस सुदृढीकरण के अन्तर्गत एक पृथक राजस्व पुलिस एक्ट/अधिनियम बनाये जाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की

जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्व पुलिस के समुचित प्रशिक्षण तथा उन्हें अन्य सुविधायें दिये जाने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

- राजस्व पुलिस से सम्बन्धित तहसीलों पर वायरलेस उपलब्ध कराया जाना -

राजस्व पुलिस से सम्बन्धित कार्यों में संचार सुविधाओं को सुदृढ़ किये जाने तथा सम्पर्क व समन्वय को बेहतर बनाये जाने की दृष्टि से दोनों मण्डलों में तहसील स्तर तक 50 बी0एच0एफ0 स्टेटिक सेट तथा 100 बी0एच0एफ0 हैण्ड हेल्ड सेट्स उपलब्ध कराये गये हैं।

- पटवारी चौकियों का निर्माण

राजस्व पुलिस सुदृढीकरण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड गठन के बाद पटवारी चौकियों के निर्माण के लिए ५5.80 लाख प्रति चौकी की दर से निम्न प्रकार धनराशि अवमुक्त की गयी :-

क्रमांक	वर्ष	पटवारी चौकियों की संख्या	अवमुक्त धनराशि (लाख रुपये में)
1	2005-2006	51	295.80
2	2006-2007	49	285.60
3	2007-2008	17	100.00
4	2008-2009	-	9.23
5	2009-2010	-	-
6	2010-2011	-	90.06
7	2011-2012	17	87.52
8	2012-2013	49.71	49.71

पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु 131 राजस्व/भूलेख निरीक्षक (कानूनगो) चौकी आवास/कार्यालय के निर्माण हेतु रूपया 3.80 करोड़ की धनराशि 50 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत हुई। किन्तु दरों में वृद्धि के कारण वर्ष 2007-08 में 51 कानूनगो चौकियों का निर्माण हेतु प्रति चौकी ५14.83 लाख की दर से कुल ५756.33 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

- राजस्व पुलिस हेतु वाहनों की उपलब्धता -

राजस्व पुलिस कर्मियों को गतिशील बनाने के लिए राजस्व पुलिस से सम्बन्धित 39 तहसीलों में प्रत्येक तहसील पर एक जिप्सी वाहन आवंटित किया जा चुका है। इस वाहन का प्रयोग सामान्यतः नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व पुलिस के कार्यों हेतु किया जाता है। अन्य तहसीलों को राजस्व पुलिस कार्यों के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व निरीक्षक को राजस्व पुलिस के सम्बन्ध में पुलिस निरीक्षक की शक्तियाँ दी गयी हैं। भूलेख निरीक्षक को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के हेतु क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता था, जिससे संगीन वारदात होने पर वह काफी विलम्ब से घटना स्थल पर पहुंच पाते थे। अतः राजस्व निरीक्षक को शासन स्तर पर मोटर साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया गया। अब तक 74 मोटर साइकिल राजस्व निरीक्षकों को दी जा चुकी हैं। अवशेष निरीक्षकों को भी मोटर साइकिलें स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

● राजस्व पुलिस संवर्ग का पुनर्गठन एवं वेतनमान उच्चीकरण :-

शासनादेश संख्या-471/गटप्प्(1)/2011-3/2008 दिनांक 02 अप्रैल, 2011 द्वारा राजस्व पुलिस संवर्ग राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी अनुसेवक के पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षिक अर्हता वर्तमान व्यवस्था को निम्न तालिका के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है।

वर्तमान व्यवस्था				पुनरीक्षित व्यवस्था		
क्र० सं०	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	वर्तमान वेतनमान (₹)	पदनाम	संशोधित वेतनमान (₹)	शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	प्रोन्नति का पद	(4500-7000) ₹5200-0-20200 +ग्रेड पे 2800	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय कानूनगो)	(5000-8000) ₹9300-34800 +ग्रेड पे 4200	प्रोन्नति का पद
2.	पटवारी	इण्डरमीडिएट (सीधी भर्ती)	(3050-4590) ₹5200-20200	राजस्व उप निरीक्षक	(4500-7000) ₹5200-20200 +ग्रेड पे 2800	स्नातक (सीधी भर्ती)

			+ग्रेड पे 1900			
3.	राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय)/ पटवारी अनुसेवक	समूह "घ" नियमावली के अनुसार	(2500- 3200) ०444 0-7440 +ग्रेड पे 1300	राजस्व सेवक	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 2550-3200 35: 2650-4000 33: 2750-4400 25: 3050-4590 10: ०1000/-प्रतिकर भत्ता	समूह "घ" नियमाव ली के अनुसार

● राजस्व निरीक्षक के शत प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जाना -

राजस्व पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत भूलेख निरीक्षक को पुलिस निरीक्षक एवं पटवारियों को थानाध्यक्ष की शक्तियाँ प्राप्त है। पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात भूलेख निरीक्षकों के स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से एवं 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था थी। राजस्व पुलिस का मनोबल बढ़ाये जाने के लिये शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त शतप्रतिशत भूलेख निरीक्षकों के पदों को प्रोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में पटवारियों के पदोन्नति के अवसर में वृद्धि हुई है।

● ग्राम प्रहरियों की तैनाती -

नियमित पुलिस क्षेत्र में विभिन्न अपराधों एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें गांव में तैनात चौकीदार से प्राप्त करती रहती है। इस तरह की व्यवस्था राजस्व पुलिस के क्षेत्र में नहीं थी। अतः पटवारियों को सूचना संकलन तथा उन्हें सूचनाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। इस समस्या के निवारण हेतु राजस्व पुलिस की सहायतार्थ प्रत्येक ग्राम सभा पर एक ग्राम प्रहरी की नियुक्ति की गयी।

इस नियुक्ति में ग्राम प्रधानों के लिए आरक्षित पदों के अनुरूप ग्राम प्रहरी की तैनाती सुनिश्चित की गयी। इन ग्राम प्रहरियों को पुलिस चौकीदारों की तरह ०200.00 प्रतिमाह मानदेय एवं वर्दी दी जाती थी। वर्तमान में शासनादेश संख्या-1529/गटप्पू(1)/2011-3 (12)/2008 दिनांक 14.11.2011 से ग्राम प्रहरी को ०500-00 मानदेय कर दिया गया है। ग्राम प्रहरियों की वर्दी का निर्धारण नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ

डिजाइन, अहमदाबाद के सहयोग से किया गया है तथा ०750/- प्रति ग्राम प्रहरी की दर से जिलाधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इन ग्राम प्रहरियों को कोई घटना होने पर तत्काल उसकी सूचना पटवारी को देनी होती है, अन्यथा वे 15 दिन में एक बार पटवारी चौकी में उपस्थित होकर 15 दिन में घटित घटनाओं का विवरण उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं तिथियों में से एक तिथि में उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। जनपदवार तैनात ग्राम प्रहरियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

जनपदवार ग्राम प्रहरियों की तैनाती का विवरण

क्रमांक	जनपद का नाम	ग्राम प्रहरियों के स्वीकृत पदों की संख्या	उपलब्ध ग्राम प्रहरियों की संख्या
1.	अल्मोड़ा	827	667
2.	नैनीताल	297	227
3.	चम्पावत	86	86
4.	पिथौरागढ़	391	353
5.	बागेश्वर	141	123
कुमाँऊ मण्डल का योग		1742	1456
6.	चमोली	482	412
7.	देहरादून	131	129
8.	उत्तरकाशी	263	235
9.	पौड़ी गढ़वाल	892	786
10.	टिहरी गढ़वाल	369	369
11	रूद्रप्रयाग	252	164

गढ़वाल मण्डल का योग	2389	2095
कुल योग	4131	3551

- राजस्व पुलिस को उनके कार्यों में सहयोग के लिए आवश्यक सन्दर्भ साहित्य की उपलब्धता -

राजस्व पुलिस के उपयोगार्थ अधिनियमों/नियमों से सम्बन्धित 1360 सेट, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम/विविध अधिनियम भाग-1/भाग-2/भाग-3/भाग-4/ पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु/ हिंसा से सम्बन्धित पुस्तकें डॉ० भीमराव अम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद से वर्ष 2009-10 में क्रय की गई थी, जिसका वितरण जनपदों/मण्डल कार्यालयों में निम्न प्रकार किया गया है :-

जिलाधिकारी पुस्तकालय हेतु-11, आयुक्त पुस्तकालय हेतु-02, अपर मुख्य राजस्व आयुक्त हेतु 01, मुख्य राजस्व आयुक्त हेतु 01, राजस्व पुलिस निदेशालय हेतु 01, कार्यालय पुस्तकालय हेतु 03 सेट, प्रमुख सचिव राजस्व/अपर सचिव राजस्व/शासन के राजस्व अनुभाग हेतु कुल 04 सेट तथा उप जिलाधिकारियों को 47, तहसीलदारों हेतु 58 नायब तहसीलदारों हेतु 72, राजस्व निरीक्षकों हेतु 118 एवं पटवारियों हेतु 1042 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

- पटवारी पद पर पदोन्नति में पटवारी अनुसेवकों के कोटे में वृद्धि -

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य में पटवारी के पद पर 90 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 10 प्रतिशत कोटा पटवारी अनुसेवकों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था थी। उत्तराखण्ड राज्य में अनुसेवकों से पदोन्नति का कोटा हाईस्कूल अभ्यर्थियों के लिए 15 प्रतिशत एवं इण्टरमीडिएट हेतु 10 प्रतिशत अर्थात् कुल 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

- प्रशिक्षण की अवधि में छूट प्रदान किया जाना -

पटवारी से भूलेख निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति से पूर्व छः माह के प्रशिक्षण की अनिवार्यता है। पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य में अनेक पटवारियों की 20 वर्ष की सेवा हाने के उपरान्त भी भूलेख निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो सका था। शासन द्वारा उक्त 6 माह की अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुये 03 माह के प्रशिक्षण की

व्यवस्था की गयी है। जिसके अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोडा में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

● **स्टेशनरी भत्ते एवं गोश्वारा भत्ते में वृद्धि -**

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य में राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल को स्टेशनरी भत्ता ₹10.00 एवं गोश्वारा भत्ता ₹20.00 प्रतिमाह दिया जाता था। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद शासन द्वारा पटवारियों को मिल रहे स्टेशनरी भत्ते को ₹100.00 प्रतिमाह एवं गोश्वारा भत्ते को ₹60.00 प्रतिमाह कर दिया गया है।

8. भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण -

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा शतप्रतिशत वित्ता पोषित भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ की गयी थी। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद इस योजना के तहत राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रत्येक कलेक्ट्रेट स्तर पर एन0आई0सी0 द्वारा किया गया। अब तक कलेक्ट्रेट स्तर पर भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

द्वितीय चरण में तहसील स्तर पर भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर डाटा केन्द्र की स्थापना, प्रदेश स्तर पर मॉनीटरिंग केन्द्र की स्थापना, कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।

वर्तमान में समस्त तहसीलों में खतौनियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और खतौनी कम्प्यूटरीकृत प्रति को विधिक मान्यता प्रदान करते हुये केवल कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रतियां तहसीलों में उपलब्ध कराई जा रही है। खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रति के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। खतौनी की प्रति जारी करने से होने वाली आय का लेखा-जोखा रखने हेतु जनपद में सोसायटी का गठन किया गया है।

● “राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” (छस्टडच)

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण की अब तक की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों को समाप्त कर भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (छस्टडच) के रूप में एक नई समग्र योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त भूमि अभिलेखों यथा खतौनी, खसरा, नक्शा राजस्व अभिलेखागारों में उपलब्ध अभिलेख सहित भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर त्रुटिरहित नक्शा व अन्य संगत विवरण डिजीटाईज्ड कर आम जन के लिए सुलभ कराया जाना है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सम्पत्तियों के निबंधन व अमलदरामद आदि को भी पूर्ण रूप में कम्प्यूटाईज्ड किया जाना प्रस्तावित है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों को इस स्तर तक त्रुटिरहित करना है कि सम्पत्ति के बैनामे (रजिस्ट्री) के साथ ही क्रेता का सम्पत्ति पर स्वामित्व प्रमाणित हो जाय। राज्य में इस योजना को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

9. जिला स्तर पर खतौनी का कम्प्यूटरीकरण -

वर्तमान में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति जनपदवार निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कम्प्यूटरीकृत ग्रामों की संख्या	कुल कितने खाते दर्ज किये गये	अवशेष खाते	अभ्युक्ति
1	उत्तरकाशी	681	681	55,263	-	-
2	चमोली	1256	1256	49,222	-	-
3	टिहरी गढ़वाल	1848	1848	1,27,502	-	-
4	देहरादून	788	788	1,46,118	-	-
5	पौड़ी गढ़वाल	3477	3477	1,32,733	-	-
6	रूद्रप्रयाग	681	681	37,894	-	-
7	हरिद्वार	639	639	1,22,468	-	-
8	नैनीताल	1093	1093	98,861	-	-
9	अल्मोड़ा	2248	2248	1,79,225	-	-

10	पिथौरागढ़	1638	1638	85,785	-	-
11	उधमसिंहनगर	684	684	1,22,575	-	-
12	बागेश्वर	910	910	41,661	-	-
13	चम्पावत	691	691	37,298	-	-

• अटल आदर्श ग्रामों के लिए खतौनी वितरण -

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर अटल आदर्श ग्रामों का चयन सरकार द्वारा किया गया है। इन ग्रामों में कम्प्यूटर केन्द्र भी स्थापित किये जा रहे हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि इन्हीं ग्रामों में लोगों को खतौनी वितरित हो सके। वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत खतौनियाँ तहसील स्तर पर वितरित की जा रही है।

10. राजस्व विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण -

शासन द्वारा राजस्व विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अतिरिक्त निर्माण कार्यो हेतु निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गयी है :-

क्रमांक	वर्ष	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि (लाख ०० में)
1	2006-07	-	149-54 (12वें वित्ता आयोग के अन्तर्गत)
2	2007-08	100.00	100-00 (प्रस्तावित)
3	2008-09	500.00	227.29
4	2009-10	25.00	25.00
5	2010-11	300.00	300.00
6	2011-12	400.00	165.25
7	2012-13	294.96	246.34

11. कलेक्ट्रेट के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

शासनादेश संख्या	विषय	धनराशि
-----------------	------	--------

403/गटप्पू(1)/2012-1(12)/2011	आयुक्त सभागार कक्ष, पौड़ी का निर्माण	50,00,000-00
377/गटप्पू(1)/2012-1(13)/2008	देहरादून में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण	51,12,000-00
800/गटप्पू(1)(6)/2012-1/2005	जिलाधिकारी, गढ़वाल के राजकीय आवास में विद्युतीकरण कार्य	91,000-00
811/गटप्पू(1)/2012-1(13)/2008	जनपद पौड़ी में नवीन कलेक्ट्रेट भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति	50,00,000-00
256/गटप्पू(1)/2013-1(13)/2010	विशेष आयोनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत पौड़ी में नवीन भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	4,42,56,000-00

12. तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण -

वर्तमान में श्रीनगर/चौबट्टाखाल/काफलीगैर/बेरीनाग/भनौली/जैंती/हल्द्वानी/ उप तहसील बाराकोट/द्वाराहाट/चौखुटिया/डीडीहाट-ओगला निजीवन/जसपुर/ काण्डा/सितारगंज/किच्छा/चमोली/कीर्तिनगर/चौखुटिया/रानीखेत/कलेक्ट्रेट परिसर रूद्रप्रयाग में कुल आवास के दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों का निर्माण, जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय हल्द्वानी परिसर में नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी आवास निर्माण हेतु 4,04,16,187-00 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस योजना के लिए वर्षवार बजट प्राविधान एवं स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	वर्ष	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि (लाख ० में)
1	2006-07	-	50.15
2	2007-08	500.00	493.94
3	2008-09	800.00	956-93 (पटवारी चौकियों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष रू0 156.93 लाख पुनर्विनियोग किया गया)
4	2009-10	75.00	75.00
5	2010-11	1200.00	1200.00
6	2011-12	1100.00	404.00

7	2012-13	235.86	235.86
---	---------	--------	--------

13. कानूनगो/पटवारी चौकियों का निर्माण -

(क) पटवारी चौकियों की संख्या, पूर्ण पटवारी चौकी, अपूर्ण पटवारी चौकी, ऐसी पटवारी चौकी जिनमें निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ -

जनपद	कुल	पूर्ण रूप से निर्मित	निर्माणाधीन/अपूर्ण	निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।
देहरादून	39	36	03	-
पौड़ी	234	142	25	06
उत्तरकाशी	96	74	05	-
बागेश्वर	60	58	01	-
चम्पावत	68	67	-	-
नैनीताल	55	19	04	07
पिथौरागढ़	144	134	-	-
अल्मोड़ा	211	205	05	-
टिहरी	183	122	10	43
चमोली	74	46	01	15
रूद्रप्रयाग	52	16	35	01
योग	1216	919	109	72

(ख) पटवारी चौकियों की संख्या, पूर्ण पटवारी चौकी, उपयोग में लायी जा रही पटवारी चौकियाँ एवं ऐसी पटवारी चौकियाँ जो अब तक उपयोग में नहीं लायी जा रही हैं -

जनपद	कुल	पूर्ण रूप से निर्मित	उपयोग में लायी जा रही पटवारी चौकियों की संख्या	कार्य अपूर्ण अथवा अन्य कारणों से उपयोग में नहीं लायी जा रही चौकियों की संख्या
देहरादून	39	36	32	07
पौड़ी	234	142	135	99
उत्तरकाशी	96	74	49	15
बागेश्वर	60	58	53	07

चम्पावत	68	67	67	नवसृजित प0चौ0 इजड़ा निर्मित नहीं है।
नैनीताल	55	19	09	20
पिथौरागढ़	144	134	131	13
अल्मोड़ा	211	205	167	44 (18 प0चौ0 पद रिक्त के कारण उपयोग में नहीं है)
टिहरी	183	122	124	59
चमोली	74	46	44	30
रूद्रप्रयाग	52	16	22	30
योग	1216	919	853	325

14. भूमि सुधार कार्यों को लागू किया जाना -

जैसे कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून एवं हरिद्वार पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में मेरठ मण्डल के भाग थे। अतः हरिद्वार एवं देहरादून (तहसील चकराता छोड़कर) जनपदों में जमींदारी विनाश वर्ष 1951-52 के दौरान किया गया था। जनपद ऊधमसिंहनगर के राजकीय आस्थानों से सम्बन्धित भूमि के गांवों को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में भी भूमि सुधार वर्ष 1951-52 में किया गया था, जबकि जनपद उधमसिंहनगर के राजकीय आस्थानों की भूमि से जमींदारी विनाश बाद से किया गया। जनपद देहरादून की तहसील चकराता में जमींदारी विनाश हेतु एक अलग से जमींदारी विनाश अधिनियम "जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1956" के अधीन किया गया था। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में जमींदारी विनाश, "कुमाँऊ एवं उत्तराखण्ड भूमि विनाश अधिनियम-1960" लागू किया गया।

● उत्तराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय-विक्रय का विनियमन -

उत्तराखण्ड गठन के बाद प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तथा महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के अनियंत्रित क्रय-विक्रय के फलस्वरूप भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। उत्तराखण्ड में कृषि योग्य भूमि केवल 13 प्रतिशत है और कृषि योग्य भूमि का अकृषक कार्यों हेतु प्रयोजन उत्तराखण्ड के हित में नहीं है। अतः जनता की मांग पर उत्तराखण्ड में अनियंत्रित भूमि क्रय-विक्रय को नियंत्रित करने

हेतु एक अध्यादेश दिनांक 12.09.2003 को जारी किया गया। यह अध्यादेश हिमांचल में मौजूदा कानून के अनुरूप तैयार किया गया था परन्तु इस कानून को कुछ वर्ग के लोगों द्वारा विरोध किये जाने पर विधान सभा में संशोधित अधिनियम का प्रारूप रखा गया था। विधानसभा द्वारा एक उपसमिति का गठन किया गया और उपसमिति की संस्तुतियों के अनुरूप उत्ताराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2001) (संशोधन) अधिनियम-2003 पारित किया गया।

उत्ताराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय-विक्रय की बढ़ती प्रवृत्ति तथा भूमाफियाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा उत्तारांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2001) (संशोधन) अधिनियम 2003 दिनांक 15 जनवरी, 2004 एवं उत्ताराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम- 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 में उत्ताराखण्ड शासन के गजट संख्या-1066/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007 दिनांक 10 मई, 2007 से संशोधन कर निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं या परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिग सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता-पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा-129 के अधीन खातेदार या उत्ताराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्गमीटर भूमि क्रय कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदता है, जिसके पक्ष में ले-आउट प्लान अनुमोदित है, तो 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि क्रय करने के लिये उसे शासन से अनुमति लेनी होगी। अन्यथा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

भूमि क्रय के दिये गये आवेदन पत्र 90 दिन के अन्दर निस्तारण न होने पर स्वतः भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त होने सम्बन्धी प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है और यह व्यवस्था कर दी गयी है कि प्राप्त आवेदन पत्र पर समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तारादायित्व निर्धारण किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम-1950 में संशोधन करके जाली वसीयतनामों की प्रचुर मात्रा में कूट रचना से बचने के लिये वसीयतनामों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराधिकार के क्रम को पारम्परिक संयुक्त परिवार से एक परिवार के पक्ष में

परिवर्तित करते हुए महिलाओं को उत्तराधिकारी क्रम में वरीयता प्रदान कर दी गयी है। इस विनियमन के बावजूद राज्य सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि क्रय प्रस्तावों को तत्परता से निस्तारित किया जा रहा है, जिससे कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।

● चकबन्दी के अधीन लिये गये क्षेत्रों में कतिपय कारणों से चकबन्दी प्रारम्भ न होने के कारण मृतक खातेदारों के वारिसानों के नाम एवं भूमि के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किये जा सके। अतः उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-6 में संशोधित करके इसको दूर कर दिया गया है। जनपद हरिद्वार व उधमसिंहनगर में चकबन्दी प्रक्रियाधीन है, पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी के सम्बन्ध में भी प्रक्रिया/व्यवथा अपनाए जाने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप-459/गटप्पू(2)/2009 दिनांक 20.02.2009 से मा0 कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरण-पत्र

जनपद का नाम	चकबन्दी में लिए गये ग्रामों की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है	धारा-6 के अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबन्दी समाप्त/स्थगनादेश आदि से तहसील को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5
1. उधमसिंहनगर	320	127	140	51
2. चम्पावत	28	02	26	-
3. नैनीताल	20	03	15	02
4. हरिद्वार	579	266	152	161
योग	947	398	333	214

● **पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी -**

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी को एक बड़े कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु मा0 कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गयी है। ग्राम स्तर पर स्वैच्छिक चकबन्दी अपनाये जाने व इस विषय पर विचार हेतु सम्बन्धित प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जा चुकी है। सभी क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। ग्राम बीफ व खरसाली में की गयी स्वैच्छिक चकबन्दी को विधिक व स्थायी स्वरूप दिए जाने के निमित्ता चकबन्दी प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त जनपद गढ़वाल के ग्राम लखोली में भी स्वैच्छिक चकबन्दी की कार्यवाही गतिमान है।

15- सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य -

माह मार्च, 2013 तक की स्थिति सर्वेक्षण इकाई उधमसिंहनगर के 83 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें धारा-48 के अन्तर्गत डिनोटिफिकेशन के 43 ग्रामों में बन्दोबस्त की कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार जनपद नैनीताल के 57 ग्रामों तथा उधमसिंहनगर के 67 ग्रामों में बन्दोबस्त कार्य लम्बित है। दोनों जनपदों से धारा-48 के अन्तर्गत 104 ग्राम डिनोटिफिकेशन हेतु प्रस्तावित हुए हैं। उक्त दोनों जनपदों में बन्दोबस्त कार्यवाही हेतु 43 ग्राम शेष हैं।

सर्वेक्षण इकाई देहरादून के अन्तर्गत कुल 27 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में 16 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है व प्रपत्र-7 खसरा मुताबिक कार्य 03 ग्रामों में प्रपत्र-10 (पर्ची/खतौनी) 03 ग्रामों में चल रहा है तथा प्रपत्र-15 (पुनरीक्षित खतौनी) का 01 ग्रामों में कार्य चल रहा है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (छस्टडच्) के अन्तर्गत भी सर्वेक्षण व पुनर्सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

16. पर्वतीय क्षेत्रों में गैर जमींदारी विनाश भूमि को रक्षित स्तर से मुक्त किया जाना -

(क) पर्वतीय क्षेत्रों के बेनाप भूमि -

पर्वतीय क्षेत्रों की बेनाप भूमि पर काबिज अवैध अध्यासियों को पूर्व में तत्कालीन उ0प्र0 शासन के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार नियमित कर पट्टे दिए जाते रहे हैं। किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-202/1995

टी0एन0गोडाबर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के अनुपालन में उक्त नियमितिकरण रोक दिया गया था। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-2882/गटप्पू(प्पू)/11-18(120)/2010 दिनांक 11.11.2011 से पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसी बेनाप भूमि जहाँ वन नहीं है, को वन संरक्षण अधिनियम से मुक्त करते हुए प्रदेश के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इससे लगभग 3.00 लाख हे० भूमि राजस्व भूमि श्रेणी में आयी है एवं विभिन्न विकास कार्यों तथा भूमिहीनों को आवंटन हेतु उपलब्ध हुई है।

(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण का सरलीकरण -

विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 20,000 हे० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या-2173/18(प्पू)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अन्तर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये गये हैं। उक्त अधिकार जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को दिये जाने से विभिन्न विकास योजनाओं हेतु भूमि हस्तान्तरण में निश्चित रूप से गति आयी है।

17- राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाना -

- राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों, भारत सरकार के विभागों/उपक्रमों एवं अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन -

वर्ष 2012-13 में माह मार्च, 2013 तक विभिन्न 12 केन्द्रीय सरकार के विभागों/संस्थाओं को 13.550 हे० भूमि पट्टे पर आवंटित की गई है तथा राज्य सरकार के 36 विभागों को 172.9230 हे० सिविल सोयम भूमि विभिन्न विकास

परियोजनाओं/कार्यों के लिए हस्तान्तरित की गयी है। इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर, एन0आई0टी0 श्रीनगर, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन एवं एस0एस0सी0 केन्द्रीय विद्यालयों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सालयों के साथ-साथ चमोली व पौड़ी में इंजीनियरिंग कालेजों के लिए भी भूमि का आवंटन किया गया है।

18. भूमिहीनों को आवास स्थल आवंटन का विवरण

जनपद	लक्ष्य	मासिक पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. चमोली	-	-	-	-
2. देहरादून	-	-	-	-
3. हरिद्वार	245	0	202	82
4. पौड़ी गढ़वाल	-	-	-	-
5. रुद्रप्रयाग	-	-	-	-
6. टिहरी गढ़वाल	-	-	-	-
7. उत्तरकाशी	-	-	-	-
योग गढ़वाल मण्डल	245	0	202	82
1. अल्मोड़ा	-	-	-	-
2. बागेश्वर	-	-	-	-
3. चम्पावत	-	-	-	-
4. नैनीताल	-	-	-	-
5. पिथौरागढ़	-	-	-	-
6. उधमसिंहनगर	-	-	-	-
योग कुमाँऊ मण्डल	0	0	0	0
उत्तराखण्ड राज्य	1045	0	312	30

पर्वतीय जनपदों में गैर जमींदारी विनाश भूमि वनों की परिभाषा के अन्तर्गत आच्छादित होने के कारण इन क्षेत्रों में भूमि आवंटन किया जाना सम्भव नहीं था।

19. जनपदवार खाम भूमि के पट्टों की संख्या तथा भूमि का क्षेत्रफल

क्र०सं०	जनपद का नाम	पट्टों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	देहरादून	-	-
2.	गढ़वाल	-	-
3.	टिहरी गढ़वाल	-	-
4.	उत्तरकाशी	-	-
5.	चमोली	-	-
6.	हरिद्वार	-	-
7.	रूद्रप्रयाग	-	-
8.	नैनीताल	3310	2135.14 है०
9.	अल्मोड़ा	-	-
10.	पिथौरागढ़	-	-
11.	उधमसिंहनगर	5023	4128.786 है०
12.	चम्पावत	515	41.720 है०
13.	बागेश्वर	-	-

20. ग्रामीण सीलिंग सम्बन्धी कार्यों का विवरण

जनपद/मण्डल का नाम	सीलिंग में योजित भूमि (एकड़ में)	कब्जे में ली गयी भूमि का क्षेत्रफल	आवंटित भूमि	आवंटन हेतु अवशेष	न्यायालय स्थगन/कब्जा के अभाव एवं सरकार हेतु आरक्षित भूमि
1	2	3	4	5	6
गढ़वाल मण्डल	11328ण्12	7087ण्33	4871ण्42	2215ण्91	4174ण्04
कुमाँऊ मण्डल	4624ण्68	3513ण्49	1786ण्85	1726ण्64	1620ण्06
योग	15952ण्80	10600ण्82	6658ण्27	3942ण्55	5794ण्10

21. कृषि पट्टाधारकों को संक्रमणीय अधिकार दिया जाना -

गर्वमेंटग्रांट एक्ट 1895 के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन के लिए दिए गए भूमि पट्टों के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-761/18(प्प)12-2(01)/2010 दिनांक 30मई 2012 व संख्या 1882/18(प्प)/2012-2(01)/10 दिनांक 19 जुलाई 2012 व परिषदादेश संख्या 1987/रा0प0-भूमि आव0/2012 दिनांक 14 जून 2012 तथा संख्या 201(2)/रा0प0-012 दिनांक 31 जुलाई 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए दिए गए पट्टों के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिए जाने के आदेश हैं। जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक कृषि भूमि के पट्टेदारों को मालिकाना/विक्रय अधिकार दिये जाने से संबंधित स्थिति निम्न प्रकार है:-

कृषि पट्टेदारों को भूमिघरी अधिकार देने संबंधी प्रगति:-

क्र० सं०	मण्डल	पट्टेदारों की संख्या जिन्होंने भूमिधरी अधिकार के लिए आवेदन किया	आवेदकों की संख्या जिन्हें अब तक भूमिधरी अधिकार दिये गये	आवेदकों की संख्या जिन्हे भूमिधरी अधिकार नहीं दिये गये	अभ्युक्ति
1	गढवाल मण्डल	03	-	03	जांचाधीन है।
2	कुमाऊँ मण्डल	256	104	152	अवशेष-आवेदन पत्रों 86 जांचाधीन व 66 में निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु नोटिस निर्गत
योग:-		259	104	155	

22. मुख्य एवं विविध देयों की मांग एवं वसूली का विवरण पत्र (लाख ० में)
वित्तीय वर्ष 2012-13

(31.01.2013)

तक)

जनपद का नाम	मुख्य देय 01 अक्टूबर, 2011 से 30 सितम्बर, 2012			विविध देय 01 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013		
	शुद्ध मांग	कुल वसूली	प्रतिशत	शुद्ध मांग	कुल वसूली	प्रतिशत
1. चमोली	0७६3	0७६3	100	131७०9	105७४4	33
2. देहरादून	78७59	76७16	97	2253७89	1263७16	80
3. हरिद्वार	129७29	129७29	100	2080७98	1451७06	70
4. पौड़ी गढ़वाल	28७20	28७20	100	410७72	293७35	71
5. रुद्रप्रयाग	0७72	0७72	100	139७08	55७16	40
6. टिहरी गढ़वाल	1७74	1७73	99	275७34	134७79	49
7. उत्तरकाशी	1७35	1७35	100	564७20	186७70	33
मण्डल का योग	240७52	238७08	99	5855७30	3489७66	60
8. अल्मोड़ा	2७60	2७60	100	292७06	229७96	79
9. बागेश्वर	2७02	2७05	100	135७74	105७05	77
10. चम्पावत	4७03	3७81	95	95७17	72७51	76
11. नैनीताल	41७75	41७73	100	648७26	447७13	69
12. पिथौरागढ़	1७98	1७73	87	529७99	294७86	56
13. उधमसिंहनगर	86७45	85७50	99	1651७13	875७93	53
मण्डल का योग	138७83	137७42	99	3352७35	2025७44	60

महायोग	189ण81	185ण10	97ण52	7275ण43	6687ण36	91ण92
--------	--------	--------	-------	---------	---------	-------

● प्रदेश के राजस्व परिषद् के सम्परीक्षा दल द्वारा सम्पादित आडिट कार्य -

- 1- राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड कार्यालय के सम्परीक्षा दलों द्वारा दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.01.2013 के मध्य विभिन्न जनपदों/कार्यालयों के किये गये आन्तरिक लेखा परीक्षा के दौरान २7,24,758-00 की वित्तीय हानियाँ/अनियमिततायें प्रकाश में लायी गयी। इस सम्बन्ध में शासन को होने वाली उक्त क्षति को राजकीय कोष में जमा किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यालयों/जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
- 2- राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड के सम्परीक्षा दलों द्वारा दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.01.2013 के मध्य लम्बित/उठाई गयी कुल 2654 आडिट आपत्तियों में से आन्तरिक लेखा परीक्षा उप समिति की स्वीकृति पर 752 आडिट आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अवशेष आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों/कार्यालयों को निर्देशित किया गया है। उठाई गयी आडिट आपत्तियों/निस्तारण आडिट आपत्तियों का विवरण संलग्न है।
- 3- राजस्व विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के प्रकरणों में जांच के उपरान्त 72 प्रकरणों में 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति प्रदान की गयी है तथा शासन के विरुद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा के अन्तर्गत प्राप्त 95 प्रकरणों में विस्तृत जाचोपरान्त प्री-आडिट की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

दिनांक 01.04.2012 से 31.01.2013 के मध्य आन्तरिक लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गयी एवं निस्तारित, आडिट आपत्तियों का विवरण।

क्रमांक	जनपद	01.04.2012 को अवशेष आपत्तियाँ	01.04.2012 से 31.01.2013 तक इंगित आपत्तियाँ	योग	01.04.2012 से 31.01.2013 में निस्तारित आपत्तियाँ	अवशेष
1.	अल्मोड़ा	120	048	168	127	041
2.	बागेश्वर	028	065	093	059	034
3.	चम्पावत	068	067	135	032	103
4.	नैनीताल	222	021	243	041	202
5.	पिथौरागढ़	084	044	128	078	050
6.	उधमसिंहनगर	223	132	355	080	275

योग		745	377	1122	417	705
7.	चमोली	113	-	113	051	062
8.	देहरादून	289	045	334	025	309
9.	हरिद्वार	255	048	303	050	253
10.	पौड़ी	311	-	311	024	287
11.	रूद्रप्रयाग	075	-	075	034	041
12.	टिहरी	221	027	248	119	129
13.	उत्तराकाशी	053	095	148	032	116
योग		1317	215	1532	335	1197
महायोग		2062	592	2654	752	1902

23. मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण -

- राजस्व उपनिरीक्षक/पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु नई व्यवस्था -

शासनादेश संख्या-471/गटप्पु(1)/2011-3/2008 दिनांक 02 अप्रैल, 2011 द्वारा राजस्व पुलिस संवर्ग पटवारी/पटवारी अनुसेवक के पदनाम क्रमशः राजस्व उप निरीक्षक व राजस्व सेवक करते हुए शैक्षित अर्हता राजस्व उप निरीक्षक की सीधी भर्ती इण्टर मीडिएट के स्थान पर स्नातक की गई है तथा राजस्व पुलिस संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए न्यूनतम 09 माह के प्रशिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था की गई है, इसमें 06 माह का प्रशिक्षण पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोडा, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल, उत्तराखण्ड पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्रनगर, उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली तथा 03 माह का फील्ड प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि तभी अनुमन्य होगी, जब उनके द्वारा यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जायेगा।

- राजस्व निरीक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था -

राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोडा में वर्ष 2004 से प्रारम्भ हुये राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण में अब तक 08 बैचों में 525 प्रशिक्षणार्थियों (पटवारी/लेखपाल) को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 396 पर्वतीय पटवारी एवं 129 लेखपाल/भूमि अध्याप्ति अमीन एवं सर्वे कानूनगों मैदानी संवर्ग के थे।

(3) विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पटल

- विभागों के महत्वपूर्ण सूचनाओं का (ेनव उवजव) वेबसाइट पर स्वतः प्रकाशन -

सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण सूचनायें सबकी पहुंच में रखने के लिए उन्हें स्वतः (ेनव उवजव) वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत ूूूणहवकण्णाण्णद पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकाशन के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं ताकि जनता को हर सूचना जानकारी हेतु कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उक्त वेबसाइट पर परिषद् स्तर से सूचनाओं का प्रकाशन किया जा रहा है।

- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011-

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1353/31(13)/2011 दिनांक 31.1.2011 के परिपालन में राजस्व विभाग से संबंधित चिन्हित सेवाओं के अन्तर्गत जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र, दैवी आपदा, आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण व खतौनी आर0ओ0आर0 की प्रति आदि सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों की माह दिसम्बर 2012 तक निस्तारण की स्थिति निम्नवत है:-

क्र0 सं0	राजस्व विभाग	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदनों की संख्या	समय सीमा के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा निस्तारित-आवेदन पत्रों की संख्या	पदाभिहित अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत/अनिस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	गढवाल मण्डल पौड़ी	29621	25136	4485
2	कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	29778	25998	3780

- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना -

गढवाल एवं कुमायूँ मण्डल में शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ तथा जनपदों में शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ के सृजन के सम्बन्ध में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग,उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 165/सु0भ्र0उ0ज0स0/ 2012-02(01)2012दिनांक 21 जून 2012 के अनुसार प्रत्येक जनपद व मण्डल में जिलाधिकारी व आयुक्त कार्यालय में आम जनता की शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ/शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई हैं। शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता द्वारा अपना मोबाईल/दूरभाष नम्बर एवं पता अंकित करते हुए शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ में कम्प्यूटर में दर्ज की जाती है,जिसमें शिकायतकर्ता को पंजीकरण क्रमांक आवंटित कर प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जाती है। मण्डल स्तर पर स्थापित शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ में शिकायतों/परिवादों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा करके शिकायतों/परिवादों का निस्तारण समयबद्ध रूप से कराते हुए शिकायतकर्ता को परिणाम से 90 दिन के अंदर अवगत कराया जाता है। जिन शिकायतों का निस्तारण मण्डल/विभागध्यक्ष/शासन स्तर से होना है,उन्हें अंतरित करते हुए उसका निराकरण कराये जाने की व्यवस्था है।

- **समाधान योजना** - राज्य सरकार द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें वदसपदम दर्ज करने एवं निर्धारित अवधि में उनका निस्तारण कर सूचना वदसपदम किये जाने की व्यवस्था समाधार पोर्टल पर दिनांक 26.01.2013 से प्रारम्भ की गयी है। इस व्यवस्था में राज्य में कितनी एवं क्या-क्या शिकायतें दर्ज की गयी है, कितनी शिकायतों का क्या निस्तारण हुआ, कितनी शिकायतें लम्बित हैं, यह सब सामान्य रूप से वेबसाइट पर दृश्य होगी जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता अथवा सक्षम अधिकारी से इसे प्रतिबन्धित न कर दिया जाय। शिकायतकर्ता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/वस्तुओं को प्रदान किये जाने में अर्चन/अनौचित्यपूर्ण विलम्ब, नियम विरुद्ध किसी लोक प्रधिकारी के कार्य अनियमितता किसी कानून अधिनियम, शासनादेश नीति का उल्लंघन, किसी योजना कार्यक्रम में अनियमितता आदि की शिकायत के तौर पर दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज करने पर आवेदनकर्ता के मोबाईल नम्बर पर एक यूनिक कोड ेडे के माध्यम से प्राप्त होगा इस यूनिक कोड को निर्धारित स्थान पर अंकित कर ेनइउपज करने पर शिकायत अन्तिम रूप से दर्ज हो जायेगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को गोपनीय रखने का विकल्प चयन कर उसकी शिकायत आम जनता/सम्बन्धित अधिकारी के लिए दृश्य नहीं होगी, किन्तु यथा आवश्यकता मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर शिकायत देखी जा सकती है।

- **लोक शिकायत निवारण** - जिलाधिकारी स्तर पर दर्ज शिकायतों पर 30 दिनों के अन्दर निस्तारित करना होगा, यदि 30 कार्यदिवस में शिकायत निस्तारित होती है तो स्वतः मण्डलायुक्त के स्तर पर अन्तरित हो जायेगी। मण्डलायुक्त द्वारा इसे 15 दिन में

निस्तारित करवाया जायेगा। यदि मण्डलायुक्त द्वारा 15 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर निस्तारित नहीं कराया जाता है तो शिकायत स्वतः ही मुख्य सचिव के स्तर पर अंकित हो जायेगी। इसी प्रकार निदेशक/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर दर्ज शिकायत को भी 30 कार्यदिवस में ही निस्तारित करना होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित न होने पर शिकायत स्वतः ही सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को अन्तरित हो जायेगी, जिन्हें 15 दिनों के अन्दर इसे निस्तारित करना होगा, यदि निर्धारित अवधि में यह निस्तारण नहीं होता है तो शिकायत स्वतः मुख्य सचिव को अन्तरित हो जायेगी।

- **ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडर योजना** - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 में प्रस्तर-17 में राज्य के सभी सरकारी विभागों के ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासन के वित्ता अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-102/गटप्पू (7)/2011 दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किया गया है। वित्ता विभाग के शासनादेश संख्या-222/गटप्पू(7)/2012 दिनांक 31 जुलाई, 2012 के द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों में रू0 5.00 लाख अथवा इससे ऊपर की धनराशि की समस्त सेवाओं एवं सामग्रियों तथा रू0 1.00 करोड़ से ऊपर की धनराशि के समस्त निर्माण कार्यों की अधिप्राप्तियों ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम से करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड में भी ई-प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ गठित किया जा चुका है तथा भविष्य में उक्त योजना को नियमानुसार लागू किया जायेगा।

(4) वित्तीय वर्ष 2012-13 प्रगति/लक्ष्य प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान सं0-06 के अन्तगत शासन द्वारा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सूचना का विवरण।

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(धनराशि हजार में)

लेखा शीर्षक	आय-व्ययक प्राविधान	माह मार्च, 2012 तक का व्यय
2053 जिला प्रशासन-093-जिला स्थापना- 03-कलेक्ट्री स्थापना- आयोजनेत्तर	766801	619298
2053 जिला प्रशासन-101-आयुक्त अधिष्ठान-03-मुख्य कार्यालय	27481	23626
2029-भूराजस्व-भू-103- भ-अभिलेख-03 अधिष्ठान व्यय	820407	709571
2029-भूराजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-भूमि अध्याप्ति	40840	30763
2029-भूराजस्व-101-संग्रह अधिष्ठान-03-भू-अभिलेख (मालगुजारी के)	290913	244268
2029 भू-राजस्व-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबन्दी-0302- जिला अधिष्ठान	60451	52810
2029 जिला भूराजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राजस्व	19756	13912

आयुक्त अधिष्ठान		
2053 जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापना-03-राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र	4861	4041
2029-भू-राजस्व-001-निदेशक तथा प्रशासन-राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण	1850	97.19
योग-	2033360	1698386.19

वित्तीय वर्ष 2013-14 प्रगति/लक्ष्य प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान सं0-06 के अन्तर्गत शासन द्वारा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सूचना का विवरण।

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(धनराशि हजार में)

लेखा शीर्षक	आय-व्ययक प्राविधान (वर्ष 2013-14)
2053 जिला प्रशासन-093-जिला स्थापना- 03- कलेक्ट्री स्थापना-आयोजनेत्तर	896131.00
2053 जिला प्रशासन-101-आयुक्त अधिष्ठान-03-मुख्य कार्यालय	32191.00
2029-भूराजस्व-भू-103- भ-अभिलेख-03-अधिष्ठान व्यय	883757.00
2029-भूराजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-भूमि अध्याप्ति	49046.00
2029-भूराजस्व-101-संग्रह अधिष्ठान-03-भू-अभिलेख (मालगुजारी के)	362911.00
2029 भू-राजस्व-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबन्दी-0302-जिला अधिष्ठान	70640.00
2029 जिला भूराजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन- 04-राजस्व आयुक्त अधिष्ठान	22221.00

2053 जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापना-03-राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र	5826.00
2029-भू-राजस्व-001-निदेशक तथा प्रशासन-राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण	1750.00
योग-	2324473.00

वार्षिक योजना 2012-13 में आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित परिव्यय, बजट प्राविधान, स्वीकृति और व्यय विवरण।

फरवरी, 2013 तक की स्थिति

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	राज्य सेक्टर		केन्द्रपोषित		कुल व्यय
		स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	
1	कृषि गणना (100:केन्द्रपोषित)	-	-	42.1	21.01	21.01
2	पटवारी चौकियों का निर्माण	18.07	8.86	-	-	8.86
3	तहसीलों के आ०/अना० भवनों के निर्माण	300	203.42	-	-	203.42
4	कानूनगो चौकियों का निर्माण (50: के द्वारा)	-	-	-	-	-
5	कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण	250	148.88	-	-	148.88
6	राष्ट्रीय भूमि संशाधन एवं प्रबन्धन कार्यक्रम (एन०एल०आर०एम०पी० के०पी०)	-	-	-	-	-
योग		568.07	361.16	42.1	21.01	382.17

नोट :- राजस्व विभाग के अन्तर्गत जिला योजना, एस०सी०पी०/टी०एस०पी०, ध्वजवाहक एवं बाह्यसहायतिक की योजना नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 प्रगति/लक्ष्य प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान सं0-06 के अन्तर्गत शासन द्वारा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सूचना का विवरण।

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(धनराशि हजार में)

लेखा शीर्षक	आय-व्ययक प्राविधान (वर्ष 2013-14)
2053 जिला प्रशासन-093-जिला स्थापना- 03- कलेक्ट्री स्थापना-आयोजनेत्तर	896131.00
2053 जिला प्रशासन-101-आयुक्त अधिष्ठान-03- मुख्य कार्यालय	32191.00
2029-भूराजस्व-भू-103-भू-अभिलेख-03-अधिष्ठान व्यय	883757.00
2029-भूराजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- भूमि अध्याप्ति	49046.00
2029-भूराजस्व-101-संग्रह अधिष्ठान-03-भू- अभिलेख (मालगुजारी के)	362911.00
2029 भू-राजस्व-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबन्दी-0302-जिला अधिष्ठान	70640.00
2029 जिला भूराजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन- 04-राजस्व आयुक्त अधिष्ठान	22221.00
2053 जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापना-03- राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र	5826.00
2029-भू-राजस्व-001-निदेशक तथा प्रशासन- राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण	1750.00
योग-	2324473.00

भूमिका

कृषि विकास की योजनाओं के नियोजन में कृषि सांख्यिकी का विशेष महत्व है। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत कृषि गणना में कृषकों की जोत का आकार, जाति, लिंग के आधार पर कृषकों की संख्या, जोत का औसत आकार आदि की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कृषि गणना का कार्य प्रदेश मुख्यालय में कृषि गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) के अन्तर्गत एक सांख्यिकी प्रकोष्ठ के गठन के लिए पदों के वेतन, भत्ते तथा योजना के क्षेत्रीय कार्यों के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। उत्तराखण्ड में प्रदेश के गठन से ही कृषि गणना का कार्य राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में कृषि सांख्यिकी के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जनपदों में जिलाधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में परगनाधिकारियों एवं तहसीलदारों की देख-रेख में राजस्व निरीक्षक, पटवारियों/लेखपालों द्वारा किया जाता है।

कृषि गणना का कार्य निम्नानुसार तीन चरणों में कराया जाता है:-

- 1- प्रथम चरण में जातिवार, जोत के वर्गानुसार, कृषक के लिंगानुसार कुल जोतों की संख्या, जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा औसत जोत के आंकड़े राजस्व विभाग की प्रशासनिक इकाईवार संकलित किये जाते हैं।**(ज.1 ब्मदेनेद्ध**
- 2- द्वितीय चरण में जोत के वर्गानुसार तथा सामाजिक वर्गवार भूमि उपयोगिता, सिंचाई सांख्यिकी, वटाई **(ज्मदंदबलद्ध** की स्थिति, विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के अनुमान लगाये जाते हैं।
(ठैबीमकनसम.भ् ठैनतअमलद्ध
- 3- तृतीय चरण में जोत के वर्गानुसार विभिन्न कृषकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कृषि आदानों **(प्दचनजद्ध** जैसे कि बीज, रसायनिक खाद, जैविक खाद, कीटनाशक रसायनों, कृषि ऋण, उपयोग में लाए जा रहे कृषि यन्त्रों की संख्या एवं पशुओं की संख्या के अनुमान लगाये जाते हैं।
(प्दचनज ठैनतअमलद्ध

इनपुट सर्वे 2006-07

इनपुट सर्वे 2006-07 का समस्त कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित डाटा भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार से इसका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा इसके आंकड़ों की पुस्तिका तैयार की जा रही है।

कृषि गणना 2010-11

वर्ष 2010-11 का आधार वर्ष मानकर कृषि गणना 2010-11 का प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा विभिन्न जनपदों से प्राप्त तहसीलवार तालिका-1 के आधार पर प्राप्त प्रोविज़नल आंकड़े भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे गये थे जिसका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

कृषि गणना 2010-11
तालिका-1 क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्र.सं.	आकार वर्ग	लिंग	संस्थागत		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य	
			संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	सीमान्त (1.0 से कम)	पुरुष	0	0ण्00	99511	36101ण्44	15769	5628ण्58	484783	221297ण्36
		महिला	0	0ण्00	9785	3636ण्06	1333	463ण्07	59644	28017ण्06
		कुल	1313	412ण्57	109296	39737ण्45	17102	6091ण्62	544427	249314ण्33
2	लघु (1.0 से 2.0)	पुरुष	0	0ण्00	11398	15601ण्29	4203	6097ण्13	127486	182747ण्96
		महिला	0	0ण्00	834	1136ण्89	233	333ण्92	12903	18814ण्04
		कुल	273	392ण्63	12232	16738ण्16	4436	6431ण्09	140389	201561ण्92
3	अर्द्ध मध्यम (2.0 से 4.0)	पुरुष	0	0ण्00	3213	8281ण्26	4431	12622ण्38	52852	142982ण्00
		महिला	0	0ण्00	168	424ण्76	165	451ण्05	3764	10092ण्15
		कुल	188	527ण्68	3381	8705ण्96	4596	13073ण्38	56616	153074ण्19
4	मध्यम (4.0 से 10.0)	पुरुष	0	0ण्00	423	2175ण्17	3212	18615ण्74	12754	68608ण्18
		महिला	0	0ण्00	12	52ण्75	68	366ण्44	726	3787ण्12
		कुल	107	615ण्06	435	2227ण्91	3280	18982ण्16	13480	72395ण्19
5	वृहत (10.0 से अधिक)	पुरुष	0	0ण्00	7	123ण्53	254	3211ण्85	689	10794ण्40
		महिला	0	0ण्00	0	0ण्00	5	70ण्28	23	450ण्48
		कुल	121	10750ण्82	7	123ण्53	259	3282ण्14	712	11244ण्89

6	कुल	पुरुष	0	0ण्00	114552	62282ण्54	27869	46175ण्64	678564	626429ण्73
		महिला	0	0ण्00	10799	5250ण्37	1804	1684ण्71	77060	61160ण्75
		कुल	2002	12698ण्75	125351	67532ण्89	29673	47860ण्38	755624	687590ण्44
कुल से प्रतिशत			0ण्22	1ण्56	13ण्73	8ण्28	3ण्25	5ण्87	82ण्79	84ण्30

कृषि गणना 2010-11 का द्वितीय चरण का क्षेत्रीय कार्य पूर्ण करवाकर इससे सम्बन्धित रूपपत्रों की मुख्यालय द्वारा स्कूटनिंग की जा चुकी है। अब द्वितीय चरणों के आंकड़ों की डॉटा एन्ट्री की जानी है।
इनपुट सर्वे 2011-12

इनपुट सर्वे 2011-12 क्षेत्रीय कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इनकी मुख्यालय द्वारा समस्त 1165 ग्रामों की स्कूटनिंग का कार्य गतिमान है।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त तहसीलवार तालिका-1 के आधार पर उत्तराखण्ड की क्रियात्मक जोतों तथा क्रियात्मक जोतों के क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार तालिका-1 में दिया गया है-

- 1- कृषि गणना 2010-11 के अनुसार प्रदेश में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या 8.93 लाख एवं क्षेत्रफल 7.79 लाख हेक्टेयर है। क्रियात्मक जोतों का औसत आकार 0.87 हेक्टेयर है।
- 2- संस्थागत जोतों संख्या 0.02 लाख एवं क्षेत्रफल 0.13 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 6.34 हेक्टेयर है।
- 3- अनुसूचित जाति जोतों की संख्या 1.25 लाख एवं क्षेत्रफल 0.67 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 0.54 हेक्टेयर है।
- 4- अनुसूचित जनजाति जोतों की संख्या 0.29 लाख एवं क्षेत्रफल 0.48 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 1.68 हेक्टेयर है।
- 5- अन्य जोतों की संख्या 7.37 लाख एवं क्षेत्रफल 6.52 लाख हेक्टेयर है। जोतों का औसत आकार 0.88 हेक्टेयर है।

कृषि गणना 2010-11

तलिका-1 क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्र. सं.	आकार वर्ग (हे. में)	लिंग	संख्या					क्षेत्रफल (हे.में)					औसत आकार (हे.में)				
			संस्थागत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	समस्त	संस्थागत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	समस्त	संस्थागत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	समस्त
1	सीमान्त (1.0 से कम)	पुरुष	0	9924 0	1476 7	4710 94	5851 01	0ण्000	35976 ण्404	5628ण् 561	202842 ण्287	244447 ण्252	0ण्00	0ण्36	0ण्38	0ण्4 3	0ण्4 2
		महिला	0	9779	1177	5815 8	6911 4	0ण्000	3615ण् 987	463ण्0 28	25676ण् 692	29755ण् 707	0ण्00	0ण्37	0ण्39	0ण्4 4	0ण्4 3
		कुल	1317	1090 19	1594 4	5292 52	6555 32	416ण्8 03	39592 ण्391	6091ण् 589	228518 ण्979	274619 ण्762	0ण्32	0ण्36	0ण्38	0ण्4 3	0ण्4 2
2	लघु (1.0 से 2.0)	पुरुष	0	1139 8	4203	1259 56	1415 57	0ण्000	15591 ण्271	6097ण् 141	175252 ण्874	196941 ण्286	0ण्00	1ण्37	1ण्45	1ण्3 9	1ण्3 9
		महिला	0	834	233	1284	1391	0ण्000	1136ण्	333ण्9	17849ण्	19319ण्	0ण्00	1ण्36	1ण्43	1ण्3	1ण्3

						3	0		868	34	008	810				9	9
		कुल	269	1223	4436	1387	1557	388ण्3	16728	6431ण्	193101	216649	1ण्44	1ण्37	1ण्45	1ण्3	1ण्3
				2		99	36	31	ण्139	075	ण्882	ण्427				9	9
3	अर्द्ध- मध्यम (2.0 से 4.0)	पुरुष	0	3213	4431	5193	5957	0ण्000	8289ण्	12622	139257	160168	0ण्00	2ण्58	2ण्85	2ण्6	2ण्6
						2	6		317	ण्355	ण्010	ण्682	0			8	9
		महिला	0	168	165	3764	4097	0ण्000	424ण्7	451ण्0	10037ण्	10912ण्	0ण्00	2ण्53	2ण्73	2ण्6	2ण्6
									45	28	137	910	0			7	6
		कुल	188	3381	4596	5569	6386	527ण्6	8714ण्	13073	149294	171609	2ण्81	2ण्58	2ण्84	2ण्6	2ण्6
						6	1	90	062	ण्383	ण्147	ण्282				8	9
4	मध्यम (4.0 से 10.0)	पुरुष	0	421	3212	1224	1587	0ण्000	2167ण्	18615	65804ण्	86587ण्	0ण्00	5ण्15	5ण्80	5ण्3	5ण्4
						1	4		015	ण्735	897	647	0			8	5
		महिला	0	12	68	726	806	0ण्000	52ण्73	366ण्4	3785ण्0	4204ण्2	0ण्00	4ण्39	5ण्39	5ण्2	5ण्2
									2	26	71	29	0			1	2
		कुल	107	433	3280	1296	1678	615ण्0	2219ण्	18982	69589ण्	91406ण्	5ण्75	5ण्13	5ण्79	5ण्3	5ण्4

						7	7	72	747	ण्161	968	948				7	5
5	वृहत (10.0 से अधिक)	पुरुष	0	7	254	689	950	0ण्000	123ण्5	3211ण्	10794ण्	14129ण्	0ण्00	17ण्6	12ण्6	15ण्	14ण्
									19	852	388	759	0	5	5	67	87
		महिला	0	0	5	23	28	0ण्000	0ण्000	70ण्28	450ण्47	520ण्75	0ण्00	0ण्00	0ण्00	0ण्0	0ण्0
									3	4	7	0			0	0	
		कुल	121	7	259	712	1099	10750	123ण्5	3282ण्	11244ण्	25401ण्	88ण्8	17ण्6	12ण्6	15ण्	23ण्
								ण्813	19	135	862	329	5	5	7	67	11
6	कुल	पुरुष	0	1142	2686	6619	8030	0ण्000	62147	46175	593951	702274	0ण्00	0ण्54	1ण्72	0ण्9	0ण्8
				79	7	12	58		ण्526	ण्644	ण्456	ण्626	0			0	7
		महिला	0	1079	1648	7551	8795	0ण्000	5230ण्	1684ण्	57798ण्	64713ण्	0ण्00	0ण्48	1ण्02	0ण्7	0ण्7
			3		4	5		332	699	382	413	0			7	4	
		कुल	2002	1250	2851	7374	8930	12698	67377	47860	651749	779686	6ण्34	0ण्54	1ण्68	0ण्8	0ण्8
				72	5	26	15	ण्709	ण्858	ण्343	ण्838	ण्748				8	7

नोट -आंकड़े परिवर्तनीय है।

कृषि सांख्यिकी

कृषि सांख्यिकी का समस्त कार्य राजस्व निरीक्षण, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के प्रशासक नियन्त्रण में तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), कृषि विभाग के प्राविधि नियन्त्रण में कराया जाता है। प्रदेश के मैदानी भागों के समस्त ग्रामों में कृषि वर्ष के तीनों मौसमों यथा खरीफ, रबी, जायद तथा पर्वतीय भाग में पंचवर्षीय पड़ताली रोस्टर के आधार पर प्रत्येक वर्ष कुल ग्रामों के 1/5 ग्रामों में कृषि वर्ष के दो मौसमों यथा खरीफ, रबी में राजस्व विभाग द्वारा लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से पड़ताल के आधार पर विभिन्न फसलों से आच्छादि, सिंचि तथा अंसिंचि क्षेत्रफल के आंकड़ों के साथ-साथ भूमि उपयोगिता सम्बन्धी आंकड़े त्रि कराये जाते हैं। पड़ताल (क्षेत्रफल रिगणना) का कार्य तीनों कृषि मौसमों यथा खरीफ, रबी एवं जायद में लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सारिणी के अनुसार किया जाता है:-

मौसम	पड़ताल हेतु निर्धारित सारिणी	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
1. खरीफ	10 अगस्त से 31 अक्टूबर	10 अगस्त, से 25 सितम्बर
2. रबी	15 जनवरी से 15 मई	01 जनवरी से 15 फरवरी
3. जायद	-	01 मई से 31 मई

प्रत्येक मौसम में राजस्व निरीक्षक (पूर्व में पटवारी)/लेखपाल पड़ताल के खसरा जिस्टर में प्रत्येक खसरा नम्बर के सम्मुख पाई गई सिंचि एवं अंसिंचि के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, प्रविष्टि करता है। मौसम विशेष में समस्त खसरा नम्बरों में प्रविष्टि के उपरान्त राजस्व निरीक्षक/लेखपाल खसरा पृष्ठवार योग करता

है तथा अन्त में समस्त खसरा पृष्ठों का योग करते हुए ?? मौसम में गाँव विशेष में बोई गई विभिन्न फसलों से आच्छादि? सिंचि? ? ?सिंचि? क्षेत्रफल के आंकड़ों को ज्ञात करता है। ?? योगों के आधार ?? गाँव का जिन्सवार तैयार किया जाता है। तहसील स्तर ?? तहसील के अन्तर्गत प्रत्येक गाँवों से प्राप्त जिन्सवारों को टोटलिंग? ?जिस्टर में अंकित? करते हुए न्याय पंचायत वार, विकासखण्डवार एवं तहसीलवार जिन्सवार तैयार किया जाता है। ????? स्तर ?? तहसीलों से प्राप्त जिन्सवारों को समेकित? करते हुए जनपदीय जिन्सवार निम्न तिथियों को रा?स्व ?रि??,

उत्तराखण्ड कार्यालय तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश स्तर ?? जिन्सवार एवं मिलान खसरा के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ

मौसम	जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग द्वारा)	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
खरीफ जिन्सवार	10 दिसम्बर	25 नवम्बर
रबी जिन्सवार	01 जुलाई	15 अप्रैल
जायद जिन्सवार	-	01 जुलाई
मिलान खसरा	10 जुलाई	10 जुलाई

रा?स्व ?रि??, उत्तराखण्ड स्तर ?? जनपदों से प्राप्त जिन्सवारों में प्?तिवेदि? क्षेत्रफल के आंकड़ों का परीक्षण एवं संकलन करते हुए विभिन्न फसलों के अन्तर्गत ????? एवं प्रदेश स्तर के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार किये जाते हैं। उपरोक्त खरीफ, रबी एवं जायद की पड़ताल का निरीक्षण जिले के सम्बन्धि? ?धिकारियों द्वारा करायी जाती हैं।

टाईमली रिपोर्टिंग? स्कीम ;जपउमसल त्मचवतजपदह ैबीमउमए ज्त्ैद्ध

उपरोक्तानुसार फसलों से आच्छादि? क्षेत्रफल के आंकड़े पड़ताल समाप्त होने की तिथि से रा?स्व ?रि??, उत्तराखण्ड स्तर ?? प्राप्त होने ?? ???? तीन से ?? माह का ??? ?? जाता है ??कि प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण के लि? फसलों से आच्छादि? क्षेत्रफल एवं ??? के पूर्वानुमान की आवश्यकता पहले ही होती है। ?? कमी को दूर करने के लि? भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 1968-69 से टाईमली रिपोर्टि? योजना (टी0? ?0??0) लागू की गई थी। ?? योजना के अन्तर्ग? प्रदेश के मैदानी भागों में प्रत्येक वर्ष कुल राजस्व गांवों का 1/5 गाँव न्यादर्श प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार ?? ??? करके ?? ??नि? गाँवों में पड़ताल के प्रारम्भ होने की तिथि से प्राथमिकता के आधार ?? पड़ताल सम्पन्न कराते हुए फसलों से आच्छादि? क्षेत्रफल एवं ??? के पूर्वानुमान तैयार किये जाते हैं। पर्वतीय भाग में विपरीत स्थितियां (प्रत्येक राजस्व ??निरीक्षक/लेखपाल ??? के आधार ?? ???? ? : हजार खसरा नम्बरों की पड़ताल करता है, लेकि? पर्वतीय भाग में प्रत्येक राजस्व ??निरीक्षक क्षेत्र में ???? तीस हजार खसरा नम्बर होने की ??? से पर्वतीय भाग में पड़ताल पंचवश््राीय रोस्टर के आधार ?? की जाती है ताकि प्रत्येक राजस्व ??निरीक्षक को ???? ???? ? : हजार खसरा नम्बरों में ही पड़ताल करनी पड़े) होने की ??? से प्रत्येक राजस्व ??निरीक्षक क्षेत्र में वर्ष के रोस्टर के प्रथम गांव में प्रा?मिकता के आधार ?? पड़ताल सम्पन्न कराते हुये फसलों से आच्छादि? क्षेत्रफल एवं ??? के पूर्वानुमान तैयार किये जाते हैं।

मौसम	टी.? ???? तालिका कृषि निदेशालय पहुँचने की निर्धारि? तिथि	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
1. खरीफ	15 सितम्बर	31 अगस्त
2. रबी	20 फरवरी	31 जनवरी
3. जायद	-	25 मई

योजना के उद्देश्य:

योजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं।

1. खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में मुख्य फसलों के क्षेत्रफल सम्बन्धी विश्वसनीय प्राथमिक अनुमान फसलों की बुवाई के तुरन्त बाद एवं फसलों के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान फसलों के कटाई के तुरन्त बाद उपलब्ध कराना।
2. मुख्य फसलों के कुल एवं सिंचि? क्षेत्रफल के अनुमान ???-??? निकालना।
3. प्रमुख फसलों के उन्नतशील प्रजाति के क्षेत्रफल का अनुमान लगाना।

??? उत्पादन सर्वे ;ळमदमतंस ब्त्वच म्ेजपउंजपवद ैनतअमलए ळम्ूैद्ध

खरीफ, रबी तथा जायद की मुख्य खाद्य ? अखाद्य फसलों की ??? के अनुमान लगाने के लिए मुख्य फसलों ?? न्यादर्श सर्वेक्षण ?? आधारित? क्राप-?टि? प्रयोग कराये जाते हैं। ये प्रयोग रा?स्व ?रि??, उत्तराखण्ड के प्रशासनि? नियन्त्रण में संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), उत्तराखण्ड के प्रावैधि? ? देशों के अनुसार कराये जाते हैं। ?? कार्य में कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड ?? उनके विभाग के ?धिकारी तथा जिला स्तर ?? राजस्व विभाग, विकास विभाग तथा अन्य विभागों के ?धिकारीगण, जिलाधिकारी द्वारा आंशिक? क्षेत्रीय कार्य (क्राप-?टि?) का निरीक्षण मोके ?? करते हैं।

कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना ;पुउचतवअमउमदज ?? ब्त्वच ैजंजपेजपबेए प्बूैद्ध

फसलों के वास्तवि? आच्छादि? क्षेत्रफल तथा ??? के आंकलन की वर्तमान प्रणाली में आने वाली विसंगतियों एवं अवरोधों को ज्ञात करने के उपायों की खोज करने

हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 1974-75 से "कृषि सांख्यिकी के सुधार' की योजना' (आई0सी0??0) प्रारम्भ की गयी।

?? योजना कृषि सांख्यिकी तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, दोनों के कर्मचारियों द्वारा मैचिंग सैम्पल के निरीक्षण ?? आधारित है। ?? योजना के अन्तर्?? पड़ताल जांच, खसरा रजिस्टर से पृष्ठवार टोटल की जांच तथा क्राप ?टिंग जांच का कार्य किया जाता है।

जिलों से प्राप्त खरीफ, रबी एवं ज़ायद जिन्सवारों तथा मिलान खसरों की जांचोपरान्त भूमि उपयोग के वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के भूमि उपयोगिता के आंकड़ों का संक्षिप्त वि?? निम्नानुसार है:

क्र. सं.	भूमि उपयोग वर्गीकरण		क्षेत्रफल- हे. में			
			वर्ष			
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	भौगोलिक क्षेत्रफल		5348300	5348300	5348300	5348300
2	भूमि उपयोग के आंकड़ों के लिये प्रतिवेदित क्षेत्रफल		5672590	5672568	5672378	5672636
3	वन		3483872	3485847	3484803	3484803
	खेती के लिये उपलब्ध नहीं	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई जा रही भूमि	216682	216534	216404	217648
		बंजर और अकृष्य भूमि	224185	224480	224503	224764
		योग	440867	441014	440907	442412
4	परती भूमि के	स्थाई चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	198720	198737	198432	198526

	अलावा अकृष्य भूमि	विविध वृक्ष, शस्यों, और उपवनों वाली भूमि जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	384229	383987	383427	385548
		बेकार कृष्य भूमि	302240	303144	309466	310390
		योग	885189	885868	891325	894464
5	परती भूमि	अन्य परती	71832	70967	80235	84498
		वर्तमान परती	35795	35161	34009	43295
		योग	107627	106128	114244	127793
6	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल		755035	753711	741099	723164
7	कुल बोया गया क्षेत्रफल		1187409	1188462	1166380	1169697
8	एक वार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल		432374	434751	425281	446533
9	फसल गहनता (प्रतिशत में)		157ण्27	157ण्68	157ण्39	161ण्75
10	वास्तविक बोया गया सिंचित क्षेत्रफल		340925	340129	338493	336136
11	सम्पूर्ण बोया गया सिंचित क्षेत्रफल		554461	569769	566599	561733
12	एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल		213536	229640	228106	225597

भूमि उपयोग (वर्ष: 2010-11) के आंकड़ों की व्याख्या

उत्तराखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 बर्ग किलोमीटर है जिसमें से 7448 वर्ग कि.मी. (13.93%) मैदानी भाग एवं शेष 46035 बर्ग कि.मी.(86.07%) पर्वतीय भाग है।

○ प्रदेश का भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदि? क्षेत्रफल 56.72 लाख हे. है।

- प्रदेश में ?? का क्षेत्रफल 34.85 लाख हे. है जो कि प्रतिवेदि? क्षेत्रफल का 61.44 प्रति?? ?वं भौगोलि? क्षेत्रफल का 65.16 प्रति?? है।
- प्रदेश में कुल 4.42 लाख हे. क्षेत्रफल खेती के लि? उपलब्ध नहीं है जिसमें से 3.54 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.89 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
- परती भूमि के ?तिरिक्त अकृश्य भूमि 8.94 लाख हे. है जिसमें से 8.77 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में है।
- प्रदेश में कुल 1.28 लाख हे. क्षेत्रफल परती रहा जिसमें से 0.98 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.30 लाख हे. मैदानी है। वर्तमान परती भूमि के अन्तर्गत 0.43 लाख हे. भूमि रही जिसमें से 0.33 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.10 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
- प्रदेश का वास्तवि? बोया गया क्षेत्रफल 7.23 लाख हे. रहा जिसमें से 4.08 लाख हे. (56.43:) पर्वतीय क्षेत्र में एवं 3.15 लाख हे. (43.57:) मैदानी क्षेत्र में है। ?? बार से ?धि? बोया गया क्षेत्रफल 4.47 लाख हे. रहा जिसमें से 2.32 ला? हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 2.14 लाख हे. मैदानी है।
- प्रदेश में 3.36 लाख हे. वास्तवि? सिंचि? क्षेत्रफल है जो कि बोये गये क्षेत्रफल का (46ण्47:) है। सिंचि? क्षेत्रफल में से 0.41 लाख हे. ;10ण्05:द्ध पर्वतीय क्षेत्र में तथा 2.95 लाख हे. (93.65:द्ध मैदानी क्षेत्र में है।
- प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल 11.70 लाख हे. रहा जिसमें से 6.40 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 5.29 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है। राज्य में कुल बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत खरीफ का कुल बोया गया क्षेत्रफल 6.78 लाख हे. है, जिसमें से 3.95 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.84 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। रबी में कुल बोया गया क्षेत्रफल 4.54 लाख हे. है, जिसमें से 2.45 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.08 लाख

हे. मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में जायद का कुल बोया गया क्षेत्रफल 0.36 लाख हे० है। राज्य में कुल बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत धान का क्षेत्रफल 2.9 लाख हे., मक्का का क्षेत्रफल 0.26 लाख हे., महुंवा का क्षेत्रफल 1.2 लाख हे., गेहूँ का क्षेत्रफल 3.7 लाख हे., जौ का क्षेत्रफल 0.22 लाख हे., अन्य धान्य का क्षेत्रफल 0.70 लाख हे. है। राज्य में कुल दालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 0.53 लाख हे., गन्ना का क्षेत्रफल 1.02 लाख हे, अन्य किराने एवं मसालों का कुल क्षेत्रफल 0.09 लाख हे. है एवं कुल फलों एवं ?ब्जियों का क्षेत्रफल 0.46 लाख हे. है।

- प्रदेश में कुल बोया गया ंसिंचि? क्षेत्रफल 5.62 लाख हे. रहा जिसमें से 0.76 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 4.85 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है। राज्य में कुल बोये गये सिंचि? क्षेत्रफल के अन्तर्गत खरीफ का कुल बोया गया सिंचि? क्षेत्रफल 2.92 लाख हे. है, जिसमें से 0.39 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.52 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। रबी में कुल बोया गया सिंचि? क्षेत्रफल 2.35 लाख हे. है, जिसमें से 0.37 लाख हे. पर्वतीय एवं 1.98 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में जायद का कुल बोया गया सिंचि? क्षेत्रफल 0.35 लाख हे० है।

- प्रदेश की ??? सघनता 161.75 प्रति?? रही। पर्वतीय क्षेत्र की ??? सघनता 157.00 प्रति?? एवं मैदानी क्षेत्र की ??? सघनता 167.89 प्रति?? रही।

- भूमि उपयोगिता वर्ष 2010-11 की विभिन्न श्रेणियों के प्रति?? वर्गीकरण का वि?? निम्नानुसार रहा:

